भारतीय शिक्षण: वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षाका तुलनात्मक अभ्यास

डॉ. प्रिती जे. राठोड
अध्यापक ,
वैद्यश्री एम. एम. पटेल कोलेज ओफ एज्युकेशन
गुलबाई टेकरा, अहमदाबाद

१.प्रस्तावना

शिक्षा का आरंभ ऋग्वेद काल से होता है । शिक्षा जीवन के विकास की प्रक्रिया है । जीवन की साधना है। व्यक्ति और समाज में आये हुए परिवर्तन शिक्षा के द्वारा ही हुए है । भारतीय संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है, सभ्यता और संस्कृति के विकास के पछी शिक्षा ही है । शिक्षा जो बौद्धिक विकास में सहायक है किसी भी राष्ट्र के पुन: निर्माण का सर्वोद्गाम साधन भी वही है । इसकी प्रकृति युग सापेक्ष होती है । युग की गति एवं उसमें नये नये परिवर्तनो के आधार पर प्रत्येक युग में शिक्षा के स्वरुप एवं उद्देश्य भी बदल जाते है शिक्षा का उद्देश्य, विशेषाताएँ, पाठयक्रम, गुरु - शिष्य संबंध, शिक्षा प्रणाली इत्यादि प्रत्येक युग में असमान रही है । भारतीय शिक्षा के वैदिक काल और बौद्धकाल इन दोनो कालो की विकास गाथा और शिक्षा प्रणाली अलग अलग है । वैदिक युग और बौद्ध युग की शिक्षा में कई समानताएँ और असमानताएँ भी है । इन दोनो काल की तुलना निम्नलिखित मुद्दो पर की गई है ।

- वैदिक एव बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य
- वैदिक एवं बौद्धकालीन शिक्षा का पाठयक्रम
- वैदिक एवं बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएँ
- वैदिक एवं बौद्धकालीन शिक्षा में गुरु -शिष्य सम्बन्ध
- वैदिक एवं बौद्धकालीन शिक्षा की पद्धति

२.शिक्षा के उद्देश्य

२.१ वैदिक काल

१. व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास

वैदिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था । शिक्षा का आदर्श व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास में था ।

२. मोक्ष की प्राप्ति

प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जीवन को पवित्र रखकर मोक्ष की प्राप्ति करना था। ईसी उद्देश्य पर तत्कालीन शिक्षा का संपूर्ण पाठचक्रम आधारित था । जीवन के चार चरम पुरुषार्थ माने गए थे - अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष । भारतीय संस्कृति यह मानती थी है प्रथम तीन की प्राप्ति के पश्चात ही मोक्ष पाया जा सकता है ।

३. जीवन की शिक्षा

वैदिक काल की शिक्षा ज्ञान की शिक्षा के अतिरिक्त जीवन की शिक्षा थी । शिक्षा प्राप्ति के समय ही विद्यार्थीयों को स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती थी ।

४. सामाजिक कुशलता

मानसिक शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थी सामाजिक कुशलता को भी प्राप्त करते थे । गुरु के आश्रम में ही विद्यार्थी श्रम की महूद्गा सीखकर समाजोपयोगी कार्यो में सहायता पहुंचाते थे ।

५. संस्कृति का संरक्षण

वैदिक काल में शिक्षक छात्रों को वेदो के किसी न किसी अध्याय को रटा दिया करते थे । ईससे वैदिक ज्ञान कागज के अभाव में लुप्त न हो पाता था । फलत : संस्कृति की सुरक्षा की तत्कालीन शिक्षा का उद्देश्य था ।

६. चरित्र का निर्माण

वैदिक युग में छात्रों को चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी । छात्र सदाचारपूर्ण जीवन बीताकर विद्या अध्ययन करते थे । ईसके लिए वे अपने गुरु के चरित्र से प्रेरणा लेते थे ।

ए. एस. अल्तेकरने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है – "ईश्वरभक्ति तथा धार्मिक भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक सामाजीक कर्तव्य का पालन, सामजीक कुशलता की उन्नती तथा राष्ट्रीय संस्कृति, संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य थे । "

२.२ बौद्ध दर्शन

बौद्ध दर्शन में दर्शन से अधिक नीतिशास्त्र को महत्व दिया गया है । इसी कारण समस्त दु:खो के निवारण हेतु बुद्ध ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया । यही अष्टांग मार्ग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी आधार बन सकता है । इसी के आधार पर शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य निश्चित किए है । जो निम्नलिखित है ।

१. सम्मादिष्ठ (सम्यक द्रष्टि)

अविद्या के कारण संसार तथा आत्मा के सम्बन्ध में मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है, और हम अनित्य दु:खद और अनात्मा वस्तु को नित्य सुखद व आत्मरुप समझने लगते है । इस मिथ्या दृष्टि को छोडकर वस्तुओ के यथार्थ स्वरुप पर ध्यान रखने को सम्यक दृष्टि कहते है। यही विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए ।

२. सम्मा संकल्प (सम्यक संकल्प)

इसके अनुसार शिक्षा का उदेश्य इन्द्रिय सुखो से लगाव, दूसरो की ओर बुरी भावनाओ और उनको हानि पहुंचाने वाले विचारो का समूलोच्छेदन करने का निश्यच है । सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्पो में परिवर्तित होनी चाहिए । सम्यक संकल्प में त्याग परोपकार और करुणा सम्मिलित है ।

३. सम्मावाचा (सम्यक वाक)

इसमे शिक्षित व्यक्तियों को वचनों का नियंत्रण करना चाहिए । यह सम्यक् संकल्प का ही बाह्य रुप है । उसी की अभिव्यक्ति है । इसमें मिथ्यावाद, निन्दा, अप्रिय वचन आदि का निषेध है । प्रत्येक को अशुभ से बचकर शुभ वाचन करना चाहिए ।

४. सम्माकम्मन्त (सम्यक् कर्मान्त)

"जीव, नाश, चोरी, कामुकता, झूठ, अति भोजन, मनोरंजन में जाना, प्रसाधन आभूषण, आरामदेह विस्तरो के उपयोग तथा सोना, चांदी आदि के व्यवहार से बचना ही सम्यक् कर्मान्त है," इस नियमों से गृहस्थों के लिए प्रथम पांच ही आवश्यक है । आसाधारण जनो के लिए और भी विशेष नियम है । मातापिता को अपनी सन्तान को दुर्गुणो से बचाकर सद्गुणो की शिक्षा देनी चाहिए ।

५. सम्मा आजीव (सम्यक् आजीविका)

इस दृष्टिकोण से शिक्षा का उद्देश्य शुद्ध उपायो से जीविकोपार्जन करना है । यह ही प्रजातंत्र में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी है । "अस्त्र, शस्त्र, आदि पशु, मांस शराब व विष आदि का व्यापार वर्जित है ।" "दबाव, धोखा, रिश्वत, अत्याचार, डकैती, लूट, कृतध्नता आदि बुरे उपायो से जीविकोपार्जन नही करना चाहिए ।"

६. सम्मा - वायाम (सम्यक् व्यायाम)

मानसिक व नैतिक विकास हेतु बौद्ध दर्शन में शिक्षा के उद्देश्यों में सम्यक् व्यायाम को भी प्रमुख स्थान दिया है । कुसंस्कारो व अशुभ विचारो को रोकने के प्रयास को सम्यक् व्यायाम कहा गया है ।

७. सम्मा सति (सम्यक् स्मृति)

इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षित व्यक्ति शरीर चित बंदना को उसके यथार्थ रुप में स्मरण रखते है । शरीर की अशुद्धियाँ, संवेदना, सुख-दु:ख एवं तटस्थ वृद्रि का स्वभाव, लोभ, धृणा और भ्रमयुक्त मन का स्वभाव धर्मो, इन्द्रियों तथा उसके विषयो तथा चार आर्य सत्यो को स्मरण रखना सम्यक् स्मृति है ।

८. सम्मा समाधि (सम्यक् समाधि)

उपरोक्त सभी आवरणो का पवित्रता से पालन करना आवश्यक है । इनके पालन से अंत:करण की शुध्धि होती है और ज्ञान का उदय होता है यह निर्वाण प्राहिश्चत की प्रथम अवस्था है ।

३. शिक्षा की विशेषताएँ

३.१ वैदिक काल

१. गुरुकुल प्रणाली

प्राचीन भारत में गुरुकुल प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात थी । छात्र बचपन में ही अपने गुरु के घर पर रहते थे और गुरु की देख-रेख में संपूर्ण अध्ययन काल तक विद्यापार्जन करते थे । शहर से दूर रहकर एक आदर्श वातावरण में शिक्षण का काम होता था । गुरु तथा गुरुपत्नी छात्र के माता-पिता के समान ही उनकी देख-रेख करते थे ।

२. उपनयन संस्कार

प्राचीन काल की शिक्षा का आरंभ छात्र अपने उपनयन संस्कार से करते थे । प्राय: आठ से बारह वर्ष के बीच के बालकोंका उपनयन संस्कार होता था ।

३. ब्रह्मचर्य पर बल

गुरु आश्रम में अविवाहित छात्र ही प्रवेश पाते थे और संपूर्ण अध्ययन काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्याध्ययन करते थे । विवाहीत छात्रों को आश्रमों मे प्रवेश निषेध था। इंद्रियनिग्रह, सात्विक जीवन तथा ब्रह्म में ध्यान को स्थिर रखने पर विशेष बल दिया जाता था ।

४. गुरु-सेवा आवश्यक

ईस युग में गुरु सेवा एवं गुरु भक्ति की प्रधानता थी । छात्र आश्रम के सभी कार्य स्वयं करते थे । गुरु की आज्ञा का पालन वे तन-मन-धन से करते थे । ईस तरह छात्र श्रद्धा एवं भक्ति से गुरु की पूजा ईश्वर के समान करते थे ।

५. सदाचरणवालों का प्रवेश

गुरुकुल में प्रवेश आचरण के आधार पर होता था । सदाचरण एवं उच्च चरित्रवालों का ही प्रवेश वहां होता था, निम्न चरित्रवालों का नहीं ।

६. वैयक्तिक शिक्षा

वैदिक शिक्षा सामूहिक की अपेक्षा वैयक्तिक अधिक थी । हरेक विद्यार्थी पर व्यक्तिगतरुप से ध्यान दीया जाता था । व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास कर उसे शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कराना तत्कालीन शिक्षा का परम लक्ष्य था ।

७. भौतिक शिक्षा

वैदिक युग में यद्यपि शिक्षा में धर्म एवं दर्शन की प्रधानता थी, फीर भी जनसाधारण को लौकिक शिक्षा अर्थात शस्त्र विद्या, चिकित्सा ईत्यादी का ज्ञान प्रदान किया जाता था ।

८. अध्ययन काल

गुरुकुल में २४ वर्ष तक अध्ययन करनेवाले छात्र "वसु", ३६ वर्ष तक "रुद्र" तथा ४८ वर्ष तक अध्ययन करनेवाले छात्र "आदित्य" कहलाते थे ।

९. व्यावहारिक शिक्षा

दर्शन एवं धार्मिक शिक्षा के साथ ही छात्र जीवनोपयोगी शिक्षा भी प्राप्त करते थे । छात्र गुरु की गायों को वनों में चराकर पशुपालन की शिक्षा ग्रहण करते थे वे गुरु के खेतों को जोतकर अन्न उपजाते और कृषि विद्या में निपुणता प्राप्त करते थे ।

१०. शिक्षण विधि

पुस्तकों के अभाव के कारण श्रवण और मनन पर अधिक बल दिया जाता था । गुरु से सुनकर याद करना तथा उस पर मनन करना और पुनः उस पर चर्चा करना आवश्यक था।

११. भिक्षा वृद्धि

अपने तथा गुरु के भरणपोषण के लिए छात्र भिक्षाटन करते थे । वैदिक युग में ईसे बुरा नहीं माना जाता था । ईससे छात्रों में विनम्रता एवं सामाजीकता की भावना उत्पन्न होती थी।

१२. परीक्षा

अंतिम परीक्षा की प्रणाली गुरुकुलों में नहीं थी । गुरु जब अपने छात्र से संतुष्ट हो जाते थे तो उसे समाज में लौटने की आज्ञा दे देते थे ।

३.२ बौद्ध शिक्षा

१. विद्यार्थित्व

बौद्ध शिक्षा संस्थाओ में भी जातियों पदो और वर्गो में के व्यक्ति शिक्षा प्राहश्वत कर सकते थे । केवल चाहडालो का प्रवेश वर्जित था ।

२. छात्रों का चुनाव

अग्रलिखित छात्रो का विद्याध्ययन के लिए चुनाव नही किया जाता था । (१) जिन्होने अपने माता-पिता की आज्ञा न ली हो, (२) जिनको कोढ, तपोदिक जैसा रोग हो, (३) जो राजा की नौकरी करते हो, (४) जो डाकू रह चुके है, (५) जो जेल से भाग आए हो, (६) जिन्के राज्य से किसी प्रकार का दंड मिल चूका हो, (७) जिनका कोई अंग-भंग हो या जिनके शरीर का कोई भाग विकृत हो, (८) दास हो, (९) नपुंसक हो ।

३. विद्याध्ययन प्रारंभ करने की आयु

डॉ. एफ.ई.केई के अनुसार विद्याध्ययन आरंभ करने की आयु ८ वर्ष की थी । प्रवेश के बाद छात्र 'श्रमण' या 'सामनेर' या 'नवशिष्य' कहलाता था । इस दशा में वह १२ वर्ष तक विद्याभ्यास करता था। २० वर्ष की आयु में वह भिक्षु के रुप में प्रवेश कर सकता था ।

४. पबज्जा संस्कार

प्रवेश के समय 'पबज्जा - संस्कार' होता था । 'पबज्जा' का अर्थ था कि छात्र अपने परिवार से अलग होकर बौद्ध संघ में प्रवेश करता था । विनय पिटक में पबज्जा - संस्कार का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है । छात्र अपने सिर के बाल मुंडाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, मठ के भिक्षुओ के चरणो में अपना माथा टेकता था और फिर पालती मारकर बैठ जाता था । मठ का सबसे बडा भिक्षु उससे तीन बार यह कहलाता था - "बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि," इसके बाद उसे आगे लिखे १० आदेश दिए जाते थे ।

५. उपसम्पदा

नवशिष्य १२ वर्ष तक अध्ययन करने के बाद २० वर्ष की आयु को प्राहश्वत होता था । उस आयु में यह "उपसम्पदा - संस्कार" संपादित करके भिखु के रुप में संघ में रह सकता था । 'पबज्जा' के समान' उपसम्पदा - संस्कार' संघ के कम से कम १० योग्य भिक्षुओ की उपस्थिति में होता था । उनमें से एक श्रमण का परिचय कराता था । उसके बाद अन्य भिक्षु उससे अनेक प्रश्न पूछते थे । उनके उूद्गार सुनने के बाद उपस्थित भिक्षु यह निर्णय करते थे कि नवशिष्य "उपसम्पदा" ग्रहण करने का अधिकारी है या

नही । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'उपसम्पदा' के बाद श्रमण पक्का भिक्षु और संघ में रहने का अधिकारी हो जाता था ।

६. अध्ययन काल

अध्ययन काल २२ वर्ष का था - १२ वर्ष पबज्जा का और १० वर्ष उपसम्पदा का ।
अध्ययन काल ८ वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर ३० वर्ष की आयु में समाहश्वत होता था ।

७. छात्र - जीवन संबंधी नियम

बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्रो को निम्नलिखित नियमो का पालन करना पडता था । (१) भिक्षाटन, (२) भोजन, (३) वस्त्र, (४) स्नान, (५) अनुशासन

८. गुरु के प्रति छात्र के कर्तव्य

छात्र को अपने शिक्षक से पहले उठकर उसकी दांतौन और हाथ मुँह धोने के लिए पानी का प्रबन्ध करना पडता था । वह गुरु के बैठने का स्थान ठीक करता था, झाडू लगाता था और उसके बर्तनो को साफ करता था । वह गुरु के साथ भिक्षा मांगने जाता था और उसके लौटने से पहले वापस आकर गुरु के लिए जल और भोजन का प्रबंध करता था ।

९. छात्र के प्रति गुरु के कर्तव्य

गुरु का प्रमुख कर्तव्य यह था कि वह अपने शिष्य का मानसिक और आध्यात्मिक पथ - प्रदर्शन करे, गुरु अपने छात्र के लिए वस्त्र, भिक्षा-पात्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करना पडता था । शिष्य के बीमार होने पर गुरु उसकी सेवा सुश्रूषा करता था ।

१०. गुरु-शिष्य संबंध

गुरु और शिष्य में पारस्परिक श्रद्धा, निर्भरता और प्रेम का विकास हो जाता था,"अपने गुरु के साथ नवशिष्य के सम्बन्धो का स्वरुप पुत्रानुरुप था । वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम से आबद्ध थे ।"

११. पाठयक्रम

बौद्ध-मठो में जो उच्च शिक्षा के केन्द्र थे, अनेक विषयो की शिक्षा दी जाती थी, जैसे -
बौद्ध धर्म, हिन्दु धर्म, जैन धर्म, दर्शनशास्त्र, तर्क - शास्त्र, संस्कृत पाली, खगोल विज्ञान, औषध विज्ञान, राज्य व्यवस्था और प्रशासन ।

१२. शिक्षण विधि

शिक्षण विधि मुख्यत: मौखिक थी । रटने पर बल दिया जाता था । वाद-विवाद, तर्क, विश्लेषण, व्याख्या और स्पष्टीकरण की विधियों का भी प्रयोग किया जाता था ।

१३. शिक्षा का माध्यम

बौद्ध-मठों में रहनेवाले भिक्षु भारत के विभिन्न भागों से आते थे और विभिन्न भाषाएँ बोलते थे । 'छलवग्गा' की एक कहानी के अनुसार बौद्ध धर्म के अनुयायी दो ब्राहणोंने महात्मा बुद्ध से उनके उपदेशो को संस्कृत में लिखने की आज्ञा मांगी। बुद्धने इसको अस्वीकार करते हुए कहा -"ओ भिक्षुओ ! मैं तुम में से प्रत्येक को बुद्ध के उपदेशो को अपनी स्वयं की भाषा में सीखने की आज्ञा देता हुँ ।" फलस्वरुप शिक्षाका माध्यम देश की प्रचलित भाषाएँ थी ।

१४. शिक्षा की पद्धति

बौद्धोने ब्राह्मणो की वैयकितक शिक्षा पद्धति के विपरीत सामाजिक पद्धति को
अपनाया । मठो और शिक्षा के अन्य केन्द्रो में अनेक भिक्षु होते थे, जिन पर सामुहिक रुप से छात्रों की शिक्षा का भार रहता था ।

१५. शास्त्रीय विवाद

बौद्ध शिक्षा पद्धति की एक उल्लेखनीय विशेषता थी- शास्त्रीय विवाद । छात्र समय-समय पर एकत्र होकर विभिन्न विषयो पर परस्पर वाद-विवाद करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते थे ।

१६. सामान्य विद्यालय

बौद्ध शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता थी, अपने माता-पिता एक साथ रहनेवाले बालकों के लिए सामान्य विद्यालयों का आयोजन करना ।

१७. स्त्री शिक्षा

बौद्ध धर्म में स्त्रीयों का स्थान पुरुषो से निम्न है और भिक्षुओ को स्त्रीयों से दूर रहने का आदेश दिया गया है । फलस्वरुप संघ में स्त्रीयों को स्थान नही दिया गया । बुद्धने अपनी विमाता महाप्रजापति के आग्रह पर स्त्रीयों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी । उनको भिक्षुओं के समान ही जीवन व्यतीत करना पडता था । उनके मठ भिक्षुओं से अलग होते थे । संघ में प्रवेश करने की आज्ञा मिलने के कारण स्त्री शिक्षा को काफी विकास हुआ ।

१८. व्यावसायिक शिक्षा

बौद्ध शिक्षा में प्रमुख स्थान धर्म का था । "महावग्गा" में भिक्षुओ के लिए कताई - बुनाई और सिलाई के प्रशिक्षण का वर्णन हे, उनको यह प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता था, जिससे वे अपने वस्त्रों की आवश्यकताओं को पुरा कर सके । मूर्तिकला और चित्रकला के प्रशिक्षण की भी सुंदर व्यवस्था थी । गृहस्थ जीवन व्यतीत करनेवालो और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को जीविको - पार्जन में सहायता देने के लिए विभिन्न उद्योगो की शिक्षा दी जाती थी; जैसे - लेखन, गणना, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग और पशुपालन ।

३.३ शिक्षा व्यवस्था

वैदिककाल में सम्भवत: ४०० ई.पू. से पहले प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नही थी । वैदिकालीन शिक्षा व्यवस्था को दो भागो में विभक्त किया गया था - (१) प्राथमिक शिक्षा (२) उच्च शिक्षा

(१) प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ (विद्यारम्भ संस्कार)

बालको का प्रारंभिक शिक्षा उनके घरो में ही दी जाती थी । इस शिक्षा का प्रारंभ "विद्यारम्भ संस्कार" से ५ या ६ वर्ष की अवस्था में होता था । इस संस्कार के लिए कोई शुभ दिन चुन लिया जाता था । बालक विद्या देवी सरस्वती की पूजा करता था और उसके बाद गुरु सोने या चाँदी की कलम द्वारा बालक से चावलों में वर्णमाला लिखाता था और यहाँ से ही बालक की शिक्षा का श्री गणेश माना जाता था और यही शिक्षा बालक की प्रारंभिक शिक्षा थी ।

(२) उच्च शिक्षा

बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद गुरुकुल में प्रवेश करता था । गुरुकुल नगर के कोलाहल पूर्ण वातावरण से दूर किसी गाँव या छोटी बस्ती के पास एकान्त स्थान या उपवन आदि में स्थित होता था । यही पर वह छात्रो के साथ गुरुकुल की सेवा करते हुए विद्याध्ययन करता था । बौद्ध धर्म का विकास संघो के रुप में हुआ था । अत: बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केन्द्र - 'संघ' ही थे । केवल संघो मे ही बौद्ध शिक्षा दी जाती थी । (१) सार्वजनिक या प्राथमिक शिक्षा बौद्ध युग में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी । बौद्ध, मठ इस शिक्षा के केन्द्र थे । प्रारंभ में यह शिक्षा केवल धार्मिक थी, पर कुछ समय के बाद सांसारिक शिक्षा भी दी जाने लगी। प्राथमिक शिक्षा ७ वर्ष की आयु से आरंभ होती थी । छात्रो को छ: माह तक 'सिद्धिस्तु' नामक बालपोथी पठती थी, जिस में वर्णमाला के ४९ अक्षर थे । इसको समाहश्धत करने के बाद छात्रो को पाँच विद्याओ शब्द - विद्या, शिल्प स्थान विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और अध्यात्म विद्या को अध्ययन करना पडता था । इस शिक्षा को न केवल बौद्ध - भिक्षु, वरन, गृहस्थ और बौद्ध धर्मावलंबी भी प्राहश्धत करने के अधिकारी थे । शिक्षा का माध्यम 'पाली' भाषा थी जो जन साधारण के द्वारा बौली जाती थी ।

३.४ पाठयक्रम

वैदिकालीन शिक्षा के पाठयक्रम में दो प्रकार के विषयो का समावेश होता था ।

(क) परा या आध्यात्मिक विद्या : इसमें ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीति शास्त्र आदि का समावेश किया गया था । (ख) अपरा या लौकिक विद्या : इसमें इतिहास अर्थशास्त्र, भौतिकशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, सर्पविद्या, धनुविद्या, औषधिशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, प्राणीशास्त्र, तर्क शास्त्र, रसायन विद्या आदि विषयों का समावेश होता था। अलग अलग वर्ग के विद्यार्थीयों को उनके वर्गानुकुल शिक्षा दी जाने लगी । ब्राह्मणो की धार्मिक ग्रंथो का पठन- पाठन एवं धार्मिक कृत्यों से संबंधित ज्ञान अनिवार्य हो गया था । क्षत्रियो की शिक्षा में राजनीति एवं सैनिक शिक्षा को महत्व दिया गया तथा वैश्यों की शिक्षा में गो-पालन, कृषि, व्यापार शास्त्र, ललित कला आदि विषयों को प्रधानता दी गई थी । बौद्धकालिन शिक्षा का पाठयक्रम पृथक - पृथक होता था। (क) सामान्य प्राथमिक शिक्षा : इसके अंतर्गत पहले वर्गमाला का ज्ञान प्रदान करने के लिए ४९ अक्षरों वाली 'सिद्धिरस्तु' नामक बालपोथी को पढाया जाता था । फिर पांच विद्याओं यथा - शब्दविद्या, शिल्प स्थान विद्या, देव विद्या, चिकित्सा विद्या एवं अध्यात्म विद्या का अध्ययन करना पडता था । (ख) उच्च शिक्षा : उच्च शिक्षा के पाठयक्रम एवं विषय इस प्रकार है - बौद्ध धर्म हिन्दु धर्म, दर्शन शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, जैन धर्म, ईश्वर शास्त्र, संस्कृत, तर्क शास्त्र, पाली खगोलशास्त्र, ज्योतिष, औषधि विज्ञान, कानून प्रशासन आदि ।

३.५ गुरु शिष्य संबंध

वैदिककाल में, (अ) गुरु के प्रति छात्रो के कर्तव्य : वैदिक काल में छात्र गुरु के प्रति अनेक कर्तव्यो का पालन करना अपना परम धर्म समझते थे । जैसे - प्रात: काल उठकर सबसे पहले गुरु का अभिवादन करना, प्रतिदिन गुरु के स्नान के लिए जल एवं दातौन तथा यज्ञ के लिए लकडी की व्यवस्था करना गुरु के लिए भिक्षा मांगना, गुरु की गायो को चराना, गुरु के खेतो में काम करना आदि । (ब) शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य : वैदिक ऋषियोंने आचार्य को छात्र का "मानस पिता" कहा है । आचार्य छात्रो के प्रति पुत्रवत पोषण की व्यवस्था करना, शिष्यो के स्वास्थ्य एवं चरित्र के विकास पर ध्यान देना, शिष्य के रोगी होने पर पिता के समान चिकित्सा एवं शुश्रुषा करना, शिष्यो की जिज्ञासा को शांत करना शिष्यो द्वारा पूछे गये प्रश्नो का उूद्गार देना, शिष्य के शिक्षा समाहश्वत होने के उपरांत उसे भावी जीवन की सफलता के लिए उपदेश देना और जीवन पर्यन्त उसकी कुशलता की कामना करना । इस प्रकार गुरु अपने शिष्यों के शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, समाजिक, सांस्कृति, आर्थिक एवं आध्यात्मिक विकास का उूद्गारदायित्व वहन करते थे । बौद्ध कालीन शिक्षा में, (अ) गुरु के प्रति छात्र के कर्तव्य : छात्र को अपने गुरु के पहले उठकर उसकी दातौन और हाथ-मुँह धोने के लिए पानी का प्रबंध करना पडता था । वह गुरु के बैठने का स्थान ठीक करता था । झाडू लगाना उसके बर्तनों का साफ करना आदि । वह गुरु के साथ भिक्षा मांगने जाता था और उसके लौटने से पहले वापिस आकर गुरु के जल तथा भोजन का प्रबंध करता था । (ब) गुरु का छात्रो के प्रति कर्तव्य : गुरु छात्रों के प्रति स्नेह पूर्ण व्यवहार करते हुए उसका मानवीय एवं आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शन करें । अपने छात्रों के लिए वस्त्र, भिक्षा पात्र अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करना गुरु का परम कर्तव्य था ।

३.६ शिक्षा पद्धति

वैदिक काल की शिक्षा पद्धति इस प्रकार थी ।

(अ) मौखिक शिक्षा विधि : मौखिक शिक्षा विधि का प्रयोग उस काल में कागज, लेखनकला, मुद्रणकला आदि के अभाव के कारण पुस्तको का अभाव था । छात्र बहुत ही श्रध्धा पूर्वक गुरुमुख से वेदादि ग्रंथो को सुनते तथा गुरु के उच्चारण सुनकर स्वयं उच्चारण करते थे ।

(ब) प्रश्नोंतर, वाद - विवाद एवं शास्त्रार्थ विधि : गुरु पाठयवस्तु को प्रश्नोंतर विधि द्वारा भी पढाते थे तथा शंका समाधान करने के लिए वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ का भी प्रयोग करते थे ।

(क) अग्र शिष्य प्रणाली : वैदिक काल में उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान छात्रों द्वारा निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढाने की विधि भी प्रचलित थी जिसे अग्रशिष्य प्रणाली कहते है । (ड) उदाहरणों,

मनोवैज्ञानिक सिद्धांतो सूत्रों का प्रयोग : वैदिक काल में उपर्युक्त विधियों के अतिरिक्त उपमा, रुपम, लोकोकित, दृष्टांत कहानियों का प्रयोग तथा आवश्यकता पडने पर आगमन एवं निगमन विधियों का भी प्रयोग किया जाता था । इस काल में सरल से कठित की और ज्ञात से अज्ञात की ओर आदि शिक्षण -सूत्रों का भी प्रयोग किया जाता था । बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति इस प्रकार थी। (क) मौखिक पद्धति: बौद्धकाल में शिक्षण पद्धति मौखिक थी जिसमें प्रवचन, भाषण, श्रवण, मनन, चिंतन, कंठस्थीकरण आदि मानसिक क्रियाओं को महत्व दिया जाता था । (ख) प्रश्नोद्गार, वाद-विवाद एवं व्याख्या विधि : बौद्ध शिक्षा में प्रश्नोद्गार, वाद - विवाद एवं व्याख्या विधि का अत्यधिक महत्व था । विवादास्पद विषयों की पृष्टि के लिए इस प्रकार प्रमाण दिये जाते थे । जैसे - सिद्धांत, हेतु, उदाहरण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आदि । (ग) अग्रशिष्य प्रणाली : इस प्रणाली के प्रयोग से विद्यार्थी को अध्ययन कार्य का प्रशिक्षण मिल जाता था । (घ) देशाटन एवं प्रकृति निरीक्षण : इस काल में छात्रो के अनुभावात्मक ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उन्हे देशाटन के लिए ले जाया जाता था और प्रकृति निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाता था । (ड) पुस्ताधारित विधि : इस काल में लिपि एवं लेखन कला का पर्याप्तश्वत प्रचार होने के कारण समुचित ग्रंथो की रचना हो चुकी थी अत: कदाचित पुस्तक आधारित अध्ययन विधि ग्रंथ विधि का भी प्रयोग हो गया था । (च) निरीक्षण प्रवचन एवं संमेलन विधि : इस काल में समय-समय पर विशेषज्ञो को आमंत्रित करके उसके विभिन्न विषयों में छात्रो को भाषण सुनवाये जाते थे । इसी प्रकार समय समय पर आदर्श भिक्षुओं का संमेलन भी होता रहता था । जिस में छात्र भी सम्मिलित होते थे ।

४. वैदिक एवं बौद्ध शिक्षाकी समानताएं

१. वैदिक शिक्षा में विद्यारंभ करनेकी आयु निश्चित थी ठीक वैसे ही बौद्ध शिक्षा पद्धति में भी थी ।

२. वैदिक शिक्षा प्रणाली में अध्ययन की न्युनतम अवधि १२ वर्ष थी, वहीं बौद्ध शिक्षा में नव शिष्य के लिए थी ।

३. वैदिक शिक्षा में "उपनयन संस्कार" एवं बौद्ध कालीन "पब्बज्जा" संस्कार दोंनो में छात्रों को अपने माता-पिता को त्याग कर गुरु के पास रहना पडता था ।

४. वैदिक शिक्षा प्रारंभ होने से पूर्व "उपनयन संस्कार" होता था । वैसे ही बौद्ध शिक्षा में "पब्बज्जा संस्कार" का सम्पादन किया जाता था ।

५. वैदिक शिक्षा प्रणाली में छात्रो द्वारा उपवास रखने की विधि को बौद्ध शिक्षावली ने भी अपनाया ।

६. वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरु एवं शिष्य के बीच पिता एवं पुत्र का संबंध पाया जाता था । उसी आदर्श के बौद्ध शिक्षा पद्धति में भी अपनाया ।

७. वैदिक शिक्षा प्रणाली में "उपनयन संस्कार" के बाद छात्र को "ब्रह्मचारी" की उपाधी मिलती थी उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा प्रणाली में "पब्बज्जा" संस्कार के बाद छात्रों को "सामनेर" की उपाधि दी जाती थी ।

८. वैदिक शिक्षा प्रणाली में शारीरिक पवित्रता पर बल दिया जाता था, ईतना ही बल बौद्ध धर्म शिक्षा प्रणाली में भी दिया जाता था ।

९. वैदिक शिक्षा प्रणाली में पुस्तकों के अध्ययन की अपेक्षा उचित आदतों तथा सदव्यवहार पर अधिक जोर दिया जाता था, ठीक उसी तरह बौद्ध शिक्षा प्रणाली में दिया गया था ।

१०. वैदिक काल में जिस "अहिंसा" तथा उसके नियमों पर अत्याधिक बल दिया जाता था, उसी प्रकार बौद्ध काल में भी बल दिया गया ।

११. वैदिक शिक्षा पद्धति में "सन्यासी" की गृह त्यागकर वृक्ष के नीचे निवास करना पडता था, उसी प्रकार "भिक्षु" को भी वृक्ष के नीचे निवास करना पडता था ।

१२. वैदिक शिक्षा प्रणाली की तरह बौद्ध शिक्षा प्रणालीने भी छात्रों के उपवास करने की पद्धति का स्वीकार किया था ।

१३. वैदिक शिक्षा पद्धति के "गुरु-शिष्य संबंधो" के विचारों को बौद्ध शिक्षण पद्धति में भी अपनाया गया था ।

१४. वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा दोंनो में ही शारीरिक शिक्षा का अभाव था ।
१५. वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा दोनों में ही शिक्षा मौखिक थी ।

५. वैदिक एवं बौद्ध शिक्षाकी असमानताएँ

१. वैदिक शिक्षा प्रणाली में ब्रह्मचारी बोलकर भिक्षा मांग सकते थे । बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत भिक्षुओं को मौन रुप से ही भिक्षा मांगनी पडती थी ।
२. वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदो पर आधारित थी और ब्राह्मण अध्यायन कार्य करते थे । बौद्ध शिक्षा प्रणाली वेदो पर आधारित नहीं थी और केवल वे ब्राह्मण अध्यायन कार्य करते थे, जिन्होने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था ।
३. वैदिक शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक विद्यालय या गुरु-गृह का स्वतंत्र अस्तित्व था । बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक विद्यालय का संबंध संघ से ही स्थापित होता था ।
४. वैदिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विद्यार्थीयों को समस्त सुखों को त्याग कर कठोर एवं तपोमय जीवन व्यतित करना पडता था । बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत संघो या विहारो में विद्यार्थीयो का जीवन उनके बाहर के जीवन से अधिक सुखी एवं सुविधापूर्ण था ।
५. वैदिक शिक्षा प्रणाली में "उपनयन संस्कार" के साथ ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था । बौद्ध शिक्षा प्रणाली में "उपसम्पदा संस्कार" के उपरांत शिशु के सांसारिक बंधनो को तोडकर आजीवन "ब्रह्मचर्य" व्रत का पालन करना पडता था ।
६. वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पाली और देशी भाषाओं का शिक्षा के माध्यम के रुप में प्रयोग किया जाता था ।
७. वैदिक शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत शिक्षण पर विशेष बल दिया जाता था वैदिक शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा पर अपेक्षाकृत कम बल दिया गया था ।
८. वैदिक शिक्षा पध्धति को शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली कहा जा सकता है क्योकी ईस प्रणाली में शिक्षक का घर या परिवार छात्र का विद्यालय होता था वैधिक शिक्षा प्रणाली बौद्ध संघ की प्रणाली थी ईसमें परिवार का स्थान संघ या विहार ने ले लिया था ईस प्रकार बौद्ध शिक्षा ने गुरु ओर शिष्य के पारिवारिक बन्धनो का नष्ट कर दिया ।
९. वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का केन्द्र गुरगृह था जहा पर केवल एक शिक्षक था और वे अध्यापन कार्य कराता था बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास अनेक शिक्षको वाली संस्था से हुआ था प्रारंभ से ही बौध्ध विहारो में अनेक शिक्षक अध्ययन कार्य करते थे ।
१०. वैदिक शिक्षा प्रणाली मे गुरु एवं शिष्य का सम्बन्ध पिता एवं पुत्र के समान था ओर ईस प्रकार वह एक स्वामित्व सिध्धांत पर आधारित थी बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु का छात्रों के उपर अधीकार हो गया ईस प्रकार यह प्रजातान्त्रिक सिध्धांत पर आधारित है ।

६. उपसंहार

वैदिकालीन एवं बौद्धकालीन शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट होता है कि जहां दोनों में अनेक समानताएं है - वहां दोनों में अंतर भी है । किन्तु फिर भी यह कहना ठीक होगा कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली वैदिक शिक्षा का ही संशोधित रुप है । कुछ समय पश्चात वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के कारण यद्यपि बौद्ध धर्म का पतन हो गया किन्तु बौद्ध धर्मने शिक्षा क्षेत्र में क्रान्ति की थी वह आज भी जीवीत है ।

संदर्भ पुस्तक

१. भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक परिद्रश्य - श्री लक्ष्मी भार्गव
२. भारतीय शिक्षा का ईतिहास - श्री डॉ. शालिग्राम त्रिपाठी
३. भारतीय शिक्षा का ईतिहास - श्री राकेश त्रिवेदी